न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **308/2021**

प्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :— गफूर खां, मौमदखां, नेकूखां, अबदेखां, मांजीखां, पि.निबा, शेरूखां, सफीखां, पि. बरकत मु.मरीमो बेवा बरकत, रेमान हाजी अदरीम नूरा पि आकू कौम सिपाही सा. देह खातेदार रहन, हाजी, नूरा, अदरीम पि आकू खां ।

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू—अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :— 1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा
2. विप्रार्थीगण, :— एकतरफा

आदेश दिनांक :— 09.06.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू— राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है के क्रम: [illegible] कर ग्राम **खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा,** भू.अ.निरीक्षक बडनावा मे एक ग्रेवल स[illegible] डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) **प्रस्तावित रास्ता ग्राम खिदपुरा बडनावा रोड से बडनावा सरहद तक ग्रेवल सडक रास्ता चल रहा है ।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त कदीमी रास्ता ग्राम **खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा,** भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा संख्या 113 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार **ग्राम खिदुपुरा बडनावा रोड से बडनावा सरहद तक** रास्ता को सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी खातेदार रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी रेमान खां, नूरे खां, अदरीमखां, हाजीखां, पि आकू खां,शेरू खां पि. बरगत खां व मरिमो पत्नी बरगत खां, जरिये वकालतन उपस्थित । उक्त विप्रार्थीगण को जबाब हेतु पर्याप्त समय देने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:01 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार ... ग्राम **खिदुपुरा, पटवार हल्का खनौडा,** भू.अ.निरीक्षक बडनावा के ... भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी रास्ता **खिदुपुरा बडनावा रोड से बडनावा तक**

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बारहमासी तक चल रहे को प्रस्तावित परिशिष्ट ''अ'' परिवर्तन खतौनी मे वर्णित विवरण अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है । उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार सबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा।

तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित खतौनी परिशिष्ट ''अ'' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''ब'' निर्णय का अभिन्न का भाग रहेगा ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:28:01 IST
Reason: SelfAttested